मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च–मई, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 30 मार्च, 1998 (चैत्र 9, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-"म" के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग का शहरी स्थानीय निकायों के लिये प्रतिवेदन (अप्रैल, 1996 से मार्च, 2001) जून, 1996 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 23 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त दिनांक 31 मार्च, 1994) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्यमंत्री खनिज साधन, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार खनिज साधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 19-53-87-बारह-2, दिनांक 21 जनवरी, 1998 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री विक्रम वर्मा, सदस्य, धार जिले के ग्राम ज्ञानपुरा में विद्युत तारों की स्पार्किंग से खड़ी फसल जलकर नष्ट होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामेश्वर अखण्ड, सदस्य, उज्जैन कृषि उपज मंडी में किसानों को परेशान किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, मध्यप्रदेश अव्यापारिक निगम (निरसन), विधेयक 1998 (क्रमांक 7 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

5. राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. अशोक साबले, सदस्य द्वारा दिनांक 23, मार्च 1998 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा.

" राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ है."

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 29 मार्च, 1998